

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21

दिनांक:-

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मुक्ता दीवान, व्याख्याता (गणित), राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क (जयपुर) जिनकी जन्मतिथि 26.01.1967 है। इन्होंने दिनांक: 18.02.2020 को नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक: 10.07.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती मुक्ता दीवान 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 10.07.2020 से श्रीमती मुक्ता दीवान, व्याख्याता (गणित) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती मुक्ता दीवान के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 19/05/2020

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, बीकानेर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, रा. महारानी बाउमावि, बनीपार्क (जयपुर)।
6. संबंधित कार्मिक श्रीमती मुक्ता दीवान।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर